

राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या - 1253/2012/जयपुर.

सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी,
वार्ड-तृतीय, वृत्त-ई, जयपुर.

.....अपीलार्थी.

बनाम

मैसर्स इण्डियन मैन्यूफैक्चरिंग कम्पनी,
बी-236, रोड नं० 10 वी.के.आई.ए., जयपुर.

.....प्रत्यर्थी.

एकलपीठ

श्री के. एल. जैन, सदस्य

उपस्थित : :

श्री एन. के. बैद,

उप राजकीय अभिभाषक

श्री ओ. पी. गुप्ता, अभिभाषक


.....अपीलार्थी की ओर से.

.....प्रत्यर्थी की ओर से.

दिनांक : 30/10/2017

निर्णय

1. अपीलार्थी राजस्व द्वारा यह अपील उपायुक्त (अपील्स)-तृतीय, वाणिज्यिक कर विभाग, जयपुर (जिसे आगे 'अपीलीय अधिकारी' कहा जायेगा) द्वारा अपील संख्या 39/अपील-III/2011-12/ई में पारित किये गये आदेश दिनांक 20.12.2011 के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। अपीलीय अधिकारी ने उक्त आदेश से सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी, घट-तृतीय, वृत्त-ई, जयपुर (जिसे आगे 'कर निर्धारण अधिकारी' कहा जायेगा) द्वारा प्रत्यर्थी व्यवहारी की आलौच्य अवधि वर्ष 2005-06 के लिये राजस्थान विक्रय कर अधिनियम, 1994 (जिसे आगे 'अधिनियम' कहा जायेगा) की धारा 30, 58 व 65 के तहत पारित किये गये आदेश दिनांक 08.04.2010 के विरुद्ध प्रस्तुत अपील को स्वीकार किया है।
2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि प्रत्यर्थी व्यवहारी के वित्तीय वर्ष 2007-08 का कर निर्धारण करते समय कर निर्धारण अधिकारी के संज्ञान में आया कि व्यवहारी द्वारा वर्ष 2007-08 में बिक्री शून्य दर्शाई गयी है, इसी तरह वर्ष 2005-06 एवं 2006-07 में भी बिक्री शून्य दर्शाई गई थी, परन्तु उनके समक्ष यह तथ्य प्रकट हुआ कि वर्ष 2004-05 के व्यवहारी के ट्रेडिंग अकाउंट में अन्तिम स्टॉक रूपये 23,52,381/- का अवशेष था जो कि पेस्टीसाइड्स का दर्शाया हुआ था, परन्तु उस माल को वर्ष 2006 के ओपनिंग स्टॉक में नहीं दर्शाया गया एवं इस तरह वर्ष 2007-08 में किसी तरह की खरीद बिक्री नहीं दर्शाई गई। इन तथ्यों के आधार पर कर निर्धारण अधिकारी ने प्रत्यर्थी व्यवहारी के कर निर्धारण को पुनः खोलते हुए अधिनियम की धारा 30 के तहत आदेश पारित करते हुए यह अवधारित किया है कि वर्ष 2005-06 में जो ओपनिंग स्टॉक रूपये 23,52,381/- का आया था वह उसी वर्ष में विक्रय कर दिया



लगातार.....2

गया परन्तु उसकी बिक्री के न तो बिल जारी किये गये एवं न ही विभाग के समक्ष उस बिक्री का विवरण प्रस्तुत किया गया न कर जमा कराया गया। अतः उक्त राशि के माल पर 4 प्रतिशत की दर से कर रूपये 94,103/- एवं करापवंचन के आरोप में अधिनियम की धारा 65 के तहत कर राशि की दुगुनी शास्ति रूपये 1,88,206/- एवं अनुवर्ती ब्याज रूपये 52,698/- आरोपित किया गया। उक्त पारित आदेश के विरुद्ध प्रथम अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील की जाने पर अपीलीय अधिकारी ने विस्तृत आदेश पारित करते हुए यह अवधारित किया कि वर्ष 2004-05 में जो स्टॉक रूपये 23,52,381/- का अवशेष रहा था वह माल पेस्टीसाइड्स का होने से एवं दो वर्ष में अवधिपार हो जाने के कारण उस माल को राइट ऑफ कर दिया गया था एवं दिनांक 31.03.2005 को उस माल को नष्ट कर दिया गया था एवं साथ ही यह भी अवधारित किया कि पेस्टीसाइड्स का विक्रय कृषि विभाग द्वारा जारी लाईसेंस के तहत ही किया जा सकता है एवं व्यवहारी का लाईसेंस दिनांक 31.12.2004 तक ही प्रभावी था एवं उसके बाद बिना किसी अनुज्ञापत्र के माल का क्रय विक्रय अवैध एवं दण्डनीय अपराध होने से बिक्री योग्य नहीं था। अपीलीय अधिकारी ने अपीलार्थी व्यवहारी की बिल बुक की जांच कर अन्तिम जारी बिल दिनांक 03.03.2004 का पाया एवं उसके पश्चात् बिल बुक खाली होना पाया गया था इसके अलावा अपीलीय अधिकारी ने यह भी निर्णीत किया कि विवादित माल की बिक्री कर निर्धारण अधिकारी द्वारा प्रमाणित नहीं की गयी है ऐसी स्थिति में उस पर करारोपण किया जाना विधि के विरुद्ध है। फलतः अपील स्वीकार कर आरोपित कर ब्याज एवं शास्ति को अपास्त कर दिया गया। उक्त अपीलीय आदेश से व्यथित होकर विभाग द्वारा यह अपील कर बोर्ड में प्रस्तुत की गयी है।

3. विभाग की ओर से विद्वान उप-राजकीय अभिभाषक ने कर निर्धारण अधिकारी के आदेश का समर्थन करते हुए कथन किया कि क्लॉजिंग स्टॉक विक्रय करना कहीं नहीं दर्शाया गया था अतः कर निर्धारण आदेश को अपास्त किये जाने में अपीलीय अधिकारी द्वारा भूल की गयी है।

4. प्रत्यर्थी व्यवहारी के विद्वान अभिभाषक ने कथन किया कि कर निर्धारण अधिकारी एवं अपीलीय अधिकारी के समक्ष व्यवहारी की व्यवसाय सम्बन्धी माल की पूर्ण प्रकृति का स्पष्टीकरण दे दिया गया था कि व्यवसायी द्वारा पेस्टीसाइड्स का विनिर्माण कर विक्रय किया जाता है, जिसके लिये भारत सरकार के कृषि विभाग द्वारा लाईसेंस जारी होना आवश्यक होता है। यह बता दिया गया था



लगातार.....3

कि पेस्टीसाइड्स के मामलों में बिना किसी लाईसेंस के विक्रय किया जाना दण्डनीय अपराध की श्रेणी सम्मिलित है एवं इसके साक्ष्य के रूप में कृषि विभाग द्वारा जारी किये गये लाईसेंस की प्रतियां भी प्रस्तुत की गयी थी, जिसमें स्पष्ट रूप से यह अंकित किया हुआ है कि उनके उत्पादों की समय-सीमा दो वर्ष तक ही रहती है। उन्होंने यह कथन किया कि वर्ष 2004 के बाद चूंकि उनका लाईसेंस का नवीनीकरण नहीं हुआ था ऐसी स्थिति में उनके पास वर्ष 2004-05 में दर्शाया गया क्लॉजिंग स्टॉक विक्रय योग्य नहीं रहा एवं समयावधि पार होने से उस माल का नष्टीकरण किया जाना अनिवार्य हो गया था। इस मत के अनुसार उनका माल विक्रय योग्य नहीं होने से उसका कोई मूल्य नहीं रहा था ऐसी स्थिति में उस माल को शून्य मानते हुए ही उनके द्वारा किसी भी तरह का स्टॉक विवरण-पत्रों में नहीं दर्शाया गया परन्तु कर निर्धारण अधिकारी के नोटिस जारी करने के पश्चात् पूर्ण स्थिति बताते हुए यह दर्शा दिया गया था कि यह माल नष्ट हो जाने से उसका कोई विक्रय माना जाना अनुचित है, फलतः अपीलीय अधिकारी द्वारा पूर्ण जांच एवं परीक्षण के बाद एवं उनके बिलों की जांच करने के बाद जो आदेश पारित किया गया है वह विधि अनुकूल होने से विभाग की अपील अस्वीकार किये जाने का निवेदन किया।

5. उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया।


6. प्रकरण में तथ्यात्मक बिन्दु यह है कि प्रत्यर्थी व्यवहारी पेस्टीसाइड्स का विनिर्माता एवं विक्रेता है, साथ ही पेस्टीसाइड्स के निर्माण हेतु भारत सरकार के कृषि विभाग द्वारा लाईसेंस भी जारी किया जाता है एवं यह शर्त लाईसेंस में अंकित रहती है कि माल के उत्पादन के बाद दो वर्ष की अवधि तक ही उसका विक्रय किया जा सकता है एवं उसके बाद में वह माल विक्रय योग्य नहीं रहता है और ऐसे माल को विक्रय करना दण्डनीय अपराध माना गया है। इस प्रकरण में कर निर्धारण अधिकारी का यह आरोप प्रथम दृष्टया उचित था कि वर्ष 2004-05 के क्लॉजिंग स्टॉक को आगे के वर्षों में नहीं दर्शाया गया एवं न ही कोई बिक्री दर्शाई गई अतः नोटिस जारी कर स्पष्टीकरण लिया गया कि उक्त माल का विक्रय मानते हुए क्यों नहीं करारोपण किया जावे, जिसका जवाब प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा देते हुए शपथपत्र भी प्रस्तुत किया गया था कि उनके द्वारा विवादित क्लॉजिंग स्टॉक का माल विक्रय योग्य ही नहीं था अतः उसका विक्रय अवधारित किया जाना विधि अनुकूल नहीं है एवं उस माल के नष्ट हो जाने से उस पर किसी भी तरह का करारोपण किया जाना उचित नहीं है।



लगातार.....4

अपीलीय अधिकारी द्वारा भी इस सम्बन्ध में परीक्षण में बिलबुक भी चाही गयी एवं उसके जांच के बाद यह पाया कि प्रत्यर्थी द्वारा वर्ष 2004 के बाद कोई बिल जारी नहीं किया गया है एवं प्रस्तुत की गई लाईसेंस की प्रति, विवरण-पत्रों की प्रति एवं शपथपत्र के आधार पर यह निर्णय किया कि बिना अनुज्ञापत्र के क्रय विक्रय सम्भव नहीं होने से एवं कर निर्धारण अधिकारी द्वारा ऐसा कोई छिपा हुआ विक्रय होना प्रमाणित किये बिना ही करारोपण किया जाना विधिसम्मत नहीं है। अपीलीय अधिकारी द्वारा किये गये आदेश को मेरे द्वारा भी तथ्यात्मक रूप से परीक्षण करने पर अपीलीय आदेश में कोई त्रुटि प्रतीत नहीं होती है क्योंकि जिस माल का विक्रय किया जाना विधिक रूप से अनुमत ही नहीं था एवं उस माल के विक्रय हो जाने को कर निर्धारण अधिकारी द्वारा प्रमाणित किये बिना ही करारोपण किया जाना विधिसम्मत नहीं है। फलतः अपीलीय अधिकारी के आदेश में हस्तक्षेप किये जाने का किसी भी तरह का कोई आधार नहीं होने से राजस्व की अपील अस्वीकार किये जाने योग्य पायी जाती है।

7. परिणामस्वरूप, अपीलार्थी राजस्व की अपील अस्वीकार की जाती है।
8. निर्णय सुनाया गया।


(कं. एल. जैन)
सदस्य